कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति:- श्री सुनील कुमार,कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री नारायण दास अग्रवाल स्वामी फर्म - नरायण चूड़ा उद्योग ,शाहजहाँपुर ।
प्रार्थनापत्र संख्या:- 99/08
प्रार्थी की ओर से:- कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1- सर्वश्री नारायण दास अग्रवाल स्वामी फर्म - नरायण चूड़ा उद्योग,शाहजहाँपुर के द्वारा उत्तर प्रदेश संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 10-2-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु उल्लिखित है :-

" राइस फ्लेक पर की दर क्या होगी ? "

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या-955 दिनांक 29-2-08 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, बरेली जोन, बरेली से आख्या माँगी गयी जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुई है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु नियत तिथि 13-3-08 पर प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ,अत: प्रार्थना पत्र का निस्तारण अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक-पक्षीय रुप से किया जा रहा है।

4- मैने व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अभिलेखों का अवलोकन किया ।उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 में राइस फ्लेक किसी भी अनुसूची में विज्ञापित नहीं है, अत: राइस फ्लैक पर 12.5% की दर से कर देयता है । व्यापारी द्वारा इस तथ्य को सुनवाई के समय स्वीकार किया गया है। इन परिस्थितियों में राइस फ्लैक पर 12.5% की दर से कर देयता होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक- 17 ,मार्च ,2008

ह0 17-3-08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश ।